आर्डर शीट

न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण सं. 1 (अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1)
सांभरलेक, जिला जयपुर
मोटर दुर्घटना दावा उज्रदारी प्रकरण सं.   /2026
ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मदन सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2026	उज्रदार/मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री रतन चौधरी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उज्रदारी प्रकरण पृथक् से दर्ज किया जावें। डिक्रीदार बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां उपस्थित। उज्रदारी/आपत्ति प्रार्थना–पत्र की प्रति अधिवक्ता बीमा कंपनी को दिलाई गई। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने उज्रदारी/आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। इस स्तर पर अधिवक्ता उज्रदार/मदयून संख्या 2 मदन सिंह ने प्रकरण में मद्यून की आराजी वाके ग्राम गागरडू तहसील दूदू जिला जयपुर की नीलामी कार्यवाही को अग्रिम आदेश तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान् **विद्वान् अधिवक्ता उज्रदार/मद्यून संख्या 2 मदन सिंह** की ओर से उज्रदारी/आपत्ति प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि इस प्रकरण में बीमा कंपनी के द्वारा इस न्यायाधिकरण के अवार्ड/निर्णय दिनांक 10.08.2009 के क्रम में हस्तगत इजराय प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार बीमा कंपनी के द्वारा हस्तगत इजराय आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 136 के प्रावधान अनुसार विहित समयावधि 12 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाधित होने से पोषणीय नहीं है। इस प्रकरण में बीमा कंपनी डिक्रीदार नहीं है। बीमा कंपनी को इस न्यायाधिकरण के द्वारा पारित निर्णय/अवार्ड	.....निरंतर

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सं. 01
सांभर लेक जिला जयपुर

.....निरंतर 07.05.2026	में प्रकरण में क्लेमेंट को अवार्ड के अनुसार राशि अदा करने व उक्त राशि मद्यूनान् संख्या 2 व 2 ए क्रमशः मदन सिंह व शरीफ मोहम्मद से वसूल करने के अधिकार दिये गये थे जिस संदर्भ में बीमा कंपनी के द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत इजराय आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड की पालना में कार्यवाही समयावधि/परिसीमा अवधि में बीमा कंपनी द्वारा नहीं की गई है। बीमा कंपनी के द्वारा इजराय आवेदन पर किसी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इजराय आवेदन जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। आदेश 21 नियम 11 (2) सी.पी.सी. के तहत इजराय आवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मूल एम.ए.सी.टी. प्रकरण में मद्यून संख्या 2 पर विधि अनुसार तामील नहीं हुई है तथा उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं रही है। बीमा कंपनी के द्वारा इजराय आवेदन में अवार्ड व ब्याज राशि की गणना समुचित रूप से नहीं की गई है। न्यायाधिकरण के द्वारा अवार्ड दिनांक 10.08.2009 की पालना में मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की आराजी वाके ग्राम गागरडू तहसील दूदू जिला जयपुर को नीलाम किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू को निर्देशित किया गया है जिस संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू के द्वारा नीलामी इश्तिहार जारी किया गया है, जिसमें नीलामी की दिनांक 08.05.2006 नियत है। यदि प्रकरण में उज्रदार की संपत्ति को नीलाम कर दिया गया तो उसके उज्रदारी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत इजराय आवेदन पोषणीय नहीं होने से तथा उज्रदारी/आपत्ति प्रार्थना-पत्र के गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने तक न्यायाधिकरण द्वारा मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की आराजी वाके ग्राम गागरडू	.....निरंतर

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण क्रम 01
सांभर लेक जिला जयपुर

.....निरंतर 07.05.2026	तहसील दूदू जिला जयपुर के संदर्भ में नीलामी की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। बहस के समर्थन में अधिवक्ता उज्रदार/मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है – (1) Civil Appeal No. 2175/2020 Bank of Baroda vs Kotak Mahindra Bank Ltd. Decided on 17-03-2020. (2) (2001) 9 SSC 658 एंटोनीसामी बनाम अरुलानंदम पिल्लई (डी) उनके कानूनी वारिसों द्वारा व अन्य निर्णय दिनांक 30.10.2001. विद्वान् अधिक्ता उज्रदार/मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में **अधिवक्ता डिकीदार पक्ष** का निवेदन रहा है कि मद्यून संख्या 2 मदन सिंह को न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या 132/2002 की समुचित रूप से जानकारी रही है तथा जानबूझकर उपस्थित नहीं आया है। प्रकरण में इस न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 10.08.2009 की पालना में बीमा कंपनी के द्वारा क्लेममेंट को अदायगी हेतु राशि वर्ष 2009 में ही जमा कराई जा चुकी है। बीमा कंपनी के द्वारा विधि अनुसार व न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 10.08.2009 की पालना में इजराय आवेदन पेश किया गया है। मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की ओर से निराधार उज्रदारी/आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। बीमा कंपनी की ओर से उज्रदारी/आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त कथन करते हुए अधिवक्ता बीमा कंपनी ने उज्रदार/मद्यून संख्या 2 मदन सिंह का नीलामी कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।	.....निरंतर

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण क्रम 01
जयपुर जिला जयपुर

.....निरंतर 07.05.2026	उभय पक्षों की बहस के परिप्रेक्ष्य में उज्रदारी पत्रावली व इस न्यायाधिकरण के समक्ष आज की तारीख पेशी में नियत इजराय प्रकरण संख्या 06/2022 ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मदन सिंह व अन्य की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण में बीमा कंपनी के द्वारा इजराय आवेदन संख्या 06/2022 बउनवानी ओरियन्टल इंश्योरेंस बनाम मदन सिंह व अन्य इस न्यायाधिकरण के द्वारा मूल एम.ए.सी.टी प्रकरण संख्या 132/2002 बउनवानी घीसी देवी वगै0 बनाम घासीराम वगै0 में पारित निर्णय/अवार्ड दिनांक 10.08.2009 की पालना हेतु दिनांक 31.03.2022 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। उक्त इजराय प्रकरण में तहसीलदार दूदू के द्वारा मदन सिंह निवासी दूदू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कोई जमीन दर्ज नहीं होने के संदर्भ में पत्रांक 57 दिनांक 24.04.2025 पत्रावली पर है, जिसका उल्लेख इजराय प्रकरण की आदेशिका दिनांक 08.05.2025 व दिनांक 28.10.2025 में किया गया है। तदुपरांत इजराय प्रकरण में बाकीदार शरीफ मोहम्मद के संदर्भ में वसूली की कार्यवाही निरंतर है। प्रकरण में उज्रदार के द्वारा इस इजराय प्रकरण में हस्तगत आपत्ति/उज्रदारी के संदर्भ में प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.05.2026 को प्रस्तुत किया गया था जो हस्तगत आपत्ति प्रार्थना-पत्र के साथ शामिल किया जावें। प्रकरण में मद्यून संख्या 2/उज्रदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू जिला जयपुर के नीलाम इश्तिहार संख्या 326 दिनांक 09.04.2026 की प्रति पेश की गई है जो इस न्यायाधिकरण के द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु उज्रदार/मद्यून संख्या 2 की अचल संपत्ति वाके ग्राम गागरडू तहसील दूदू जिला जयपुर में नीलामी हेतु दिनांक	.....निरंतर

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण क्रम 01
जयपुर

.....निरंतर 07.05.2026	08.05.2026 के लिए जारी किया गया है। प्रकरण में उज्रदार / मद्यून संख्या 2 मदन सिंह ने बीमा कंपनी के द्वारा हस्तगत इजराय आवेदन परिसीमा अवधि के बाद पेश किये जाने बाबत् धारा 136 परिसीमा अधिनियम का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1) Civil Appeal No. 2175/2020 Bank of Baroda vs Kotak Mahindra Bank Ltd. Decided on 17-03-2020. (2) (2001) 9 SSC 658 एंटोनीसामी बनाम अरुलानंदम पिल्लई (डी) उनके कानूनी वारिसों द्वारा व अन्य निर्णय दिनांक 30.10.2001 का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है तथा उपर बहस में वर्णितानुसार उज्रदार / मद्यून संख्या 2 की ओर से उज्र प्रस्तुत किये गये है। उज्रदार / मद्यून संख्या 2 मदनलाल की ओर से प्रस्तुत उज्रदारी प्रार्थना–पत्र के गुणावगुण पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के तथ्यों–परिस्थितियों के मध्यनजर प्रकरण में उज्रदार / मद्यून संख्या 2 मदन सिंह के द्वारा उठाये गये उज्र / आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए इजराय प्रकरण संख्या 6 / 22 में उज्रदार / आपत्तिकर्त्ता मदन सिंह के विरुद्ध नीलामी कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। अतः मूल इजराय प्रकरण संख्या 6 / 2022 में उज्रदार / आपत्तिकर्त्ता मद्यून संख्या 2 मदन सिंह की संपत्ति वाके ग्राम गागरडू तहसील दूदू जिला जयपुर के बाबत् उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू जिला जयपुर के द्वारा की जा रही नीलामी कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुरूप उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू जिला जयपुर को तहरीर जारी की जावे, जो जरिये ई–मेल भी प्रेषित की जावे तथा दूरभाष से भी सूचित किया जावें। इस आदेश की एक प्रति इजराय प्रकरण संख्या 6 / 22	.....निरंतर

.....निरंतर 07.05.2026	बउनवानी ऑरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मदन सिंह व अन्य में शामिल की जावें। पत्रावली वास्ते जवाब आपत्ति/उज्रदारी प्रार्थना–पत्र हेतु दिनांक 21.05.2026 को पेश हो। (अरविन्द कुमार जांगिड़) मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण सं. 1 (अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1) सांभरलेक, जिला जयपुर	